



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082026-275497
CG-DL-E-17082026-275497

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4342]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948

No. 4342]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

का.आ. 4522(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4298(E) तारीख 23/09/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में NH 351K के कि.मी. 82.093 से कि.मी.102.284 तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख ,द इंडियन एक्सप्रेस, दिनांक 8 अक्टूबर 2025, दिव्य भास्कर राजकोट, दिनांक 8 अक्टूबर 2025 में प्रकाशित किया गया था

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटारा किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में NH 351K के कि.मी. 82.093 से कि.मी.102.284 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: गिर सोमनाथ		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: उन					
गांव का नाम: भाचा					
1	10 मीन	सरकारी	पडतर	0.0128	श्री भाचा ग्राम पंचायत 10P2
गांव का नाम: कंसारी					
2	131 मीन	निजी	कृषि	0.0026	श्री कालाभाई नारणभाई डांगोदर 131/P4 plote no 34
3	131 मीन	निजी	कृषि	0.0082	श्री कालाभाई नारणभाई डांगोदर 131/P4 sarvajanik plot
4	131 मीन	निजी	कृषि	0.0001	श्री कालाभाई नारणभाई डांगोदर 131/P4 Antarik Rasto
गांव का नाम: उना					
5	171 मीन	निजी	कृषि	0.0023	श्री महमदफारुक हसनभाई पटेल 171/P1
Total				0.026	

[फा. सं. GJ/LA/351K/24/2024-25/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2026

S.O. 4522(E) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4298(E) Dated:23/09/2025** , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of **NH 351K in the stretch of land from Km. 82.093 to Km. 102.284 in the district of GIR SOMNATH in the state of GUJARAT**

And whereas the substance of the said notification has been published in **The Indian Express Date 8 October 2025 Divya. Bhaskar Rajkot Date 8 October 2025** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 351K in the stretch of land from Km. 82.093 to Km. 102.284 in the district of GIR SOMNATH in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: GIR SOMNATH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Una					
Village: Bhacha					
1	10 Min	Government	Waste Land	0.0128	Shree Bhacha Gram Panchayat 10P2
Village: Kansari					
2	131 Min	Private	Agriculture	0.0026	Shree Kalabhai Naranbhai Dangodar 131/P4 plote no 34
3	131 Min	Private	Agriculture	0.0082	Shree Kalabhai Naranbhai Dangodar 131/P4 sarvajanik plot
4	131 Min	Private	Agriculture	0.0001	Shree Kalabhai Naranbhai Dangodar 131/P4 Antarik Rasto
Village: Una					

5	171 Min	Private	Agriculture	0.0023	Shri Mahmadfaruk Hasanbhai Patel 171/P1
Total				0.026	

[F. No. GJ/LA/351K/24/2024-25/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director